अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/142/2017-18

31 जनवरी, 2018

सेवा में,

श्रीयुत देवेन्द्र कुमार,
अवर सचिव/सीपीआईओ,
मानव संसाधन मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, मकान नं. 43-44, यशोदा नगर कालोनी, पोस्ट व थाना चिनहट, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश का 13.01.2018 का पत्र इस कार्यालय में 14.01.2018 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रूपये का पो.आ.सं. 39F 415501 संलग्न कर इस सचिवालय को पूर्व में प्रेषित अपने पत्र, जिसे इस कार्यालय द्वारा 11.01.2018 को श्रीयुत सचिव, (उच्च शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रसारित कर दिया गया था, पर की गई कार्रवाई की जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, मकान नं. 43-44, यशोदा नगर कालोनी, पोस्ट व थाना चिनहट, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST

फाइल संख्या वीपीएस 11/01/2018 (P) 11 जनवरी, 2018

श्रीयुत सचिव (उच्च शिक्षा),
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

प्रिय महोदय,

श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, मकान नं.-43-44, यशोदा नगर कालोनी, पोस्ट व थाना-चिनहट, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश का दिनांक 16.12.2017 पत्र इस सचिवालय में 20.12.2017 को प्राप्त हुआ है, अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

/

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -
श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, मकान नं.-43-44, यशोदा नगर कालोनी, पोस्ट व थाना-चिनहट, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश का है।
कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत सचिव (उच्च शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

ॐ नमः शिवाय RTI No-142 मो0 [illegible]

कैलाश नाथ त्रिपाठी (समाज सेवक)

सेवा–निवृत्ति–सूबेदार (टी0आई0एफ0सी0) भारतीय सेना : नं0–JC-258908L,
पता :(1) मकान नं0–43–44, यशोदा नगर, कालोनी, पोस्ट व थाना–चिनहट, जिला–लखनऊ–226028
(2) ग्राम–कुसौर, पो0–धरसवाँ, थाना–देहात कोतवाली बहराइच, विकास खण्ड–चित्तौरा, जिला बहराइच (उ0प्र0)–271835
निर्माता एवं मेला संस्थापक/संरक्षक/संचालकः सर्वश्री बाबा सिद्धेश्वरनाथ मन्दिर
स्थान : नरजीता तालाब, ग्राम–कुसौर, पो0–धरसवाँ, जिला व तह0 बहराइच (उ0प्र0) – 271835
बजरंगबली मंदिर एवं देवीकाल रात्रि/जगरिया समय/महुवा समय माता मन्दिर संरक्षक, स्थान कुसौर, बहराइच।

पत्रांक : 101/02/J.K.H.S/2018 — दिनांक : Jan 2018

सेवामें!.

मान्नीय श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय भारत सरकार / मान्नीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राज्य सभा-
नई दिल्ली – 110011

725
14.01.18

विषय !- "जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत पत्रांक सं. 101/02/J.K.H.S/2017 दि0 16-12-2017 द्वारा Regd letter/Speed Post से भेजा गया प्रार्थना पत्र के बारे में आजतक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।"

मा0 श्रीमान जी/मा0 महोदया जी,

सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी सं. JC-258908L. कैलाश नाथ त्रिपाठी (समाजसेवक) उपरोक्त पते का निवासी हूँ। मैंने जनहित में जन-कल्याण हेतु भारतीय संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार को मद्देनजर रखते हुये भारतीय संविधान के अर्न्तगत अनुच्छेद 51 को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिये विश्व में शान्ति स्थापना हेतु तमिल, मलयालम, तेलगु, पाली, उड़िया, आसामी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिन्दी भाषाओं से मिली हुई देववाणी संस्कृत भाषा राष्ट्र के विकास हेतु सैनिक/असैनिक दृष्टिकोण से राष्ट्रहित में जनभाषा के रूप में घोषित किये जाने के सम्बन्ध में तथा सरकारी और निजी विद्यालयों के अर्न्तगत कक्षा एक से बारह तक अनिवार्य विषय के रूप में संस्कृत भाषा/संस्कृत विषय को पढ़ने की भाँति डिग्री प्राप्त करने के लिये भारतीय संस्कृति /

(क0 पृ0 उ0)

2

संस्कृति भाषा को समस्त विश्व विद्यालयों में लागू करने के सम्बन्ध में एवं पूरे राष्ट्र (भारत देश) के अन्तर्गत एक ही पाठ्य क्रम और एक ही बोर्ड (एक ही शिक्षा नीति) तथा कक्षा 6 से आठ तक पहले की भाँति व्यवसायिक शिक्षा कृषि, पुतककला काष्ठ कला, कम्प्यूटर अनिवार्य रूप से लागू करने के सम्बन्ध में मा० श्रीमान प्रधान मन्त्री महोदय, भारत सरकार साउथ ब्लाक नई दिल्ली-110011 को भेजा था। जो कि मा० श्रीमान प्रधान मन्त्री महोदय- भारत सरकार को सम्बोधित है। जिसकी प्रतिलिपि सेवा में महोदय जी को आवश्यक कार्यवाही हेतु मा० श्रीमान जी / मा० महोदय जी को Speed Post / Regd letter के माध्यम से Letter No 101/01/J.K.H.S./2017 Date 16-12-2017 को Date 16-12-2017 को भेजा गया है।

अत: श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में आज तक की गयी कार्यवाही के बारे में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना देने के लिये अपने कर- कमलों द्वारा सम्बन्धित विभाग को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

" अति महान कृपा होगी। "

प्रार्थी

KN
SUB (GIFC)
JC-258908L
13 Jan 2018.

कैलाश नाथ त्रिपाठी (समाज सेवक)
नं. JC-258908L सेवा-निवृत्ति सूबेदार
(टी०अडि०एफ०सी०) भा०सेना०
मकान नं० 43-44 यशोदा नगर-
कालोनी चित्रकूट थाना व पो० -
चित्रकूट जिला व तह - [illegible]
लखनऊ (उ०प्र०) 226028
Mob — 9454190682
Date — 13 [illegible]